सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 02/2019

राजेंद्र प्रसाद मीना पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति मीना निवासी डेण्डा बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा

बनाम

स्टेट जरिये ए0पी0पी0, दौसा

प्रार्थना –पत्र सुपुर्दगी
ट्रेक्टर मय ट्रोली नम्बर आर.जे. 29 आर बी 3492

उपस्थितः1. श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सलीम खान अभियोजना अधिकारी, पैरोकार सरकार
3. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय   दिनांक: 06.03.19

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी जिला दौसा द्वारा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थी का वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली नम्बर आर.जे. 29 आर बी 3492 को जब्त सरकार कर लिया गया। जिसको प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी में सॅभलाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति पैरोकार सरकार को दी गई। पैरोकार सरकार मय पुलिस केस डायरी के साथ उपस्थित हुए। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस में दलील है कि ट्रेक्टर मय ट्रोली नम्बर आर.जे. 29 आर बी 3492 को थाना मेहन्दीपुर बालाजी द्वारा जब्त किया गया हैं। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन को सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने का अधिकारी है। ट्रेक्टर ट्रोली का उक्त घटना से कोई संबंध नहीं है। वाहन थाने में पडा खराब हो रहा है। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार सुपुर्दनामा व जमानत पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी में देने के आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि थाना मेहन्दीपुर बालाजी द्वारा ट्रेक्टर मय ट्रोली नम्बर आर.जे. 29 आर बी 3492 को उचित मूल्य सामग्री ले जाते हुए दिनांक 25.12.2018 को जब्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन मालिक स्वयं डीलर का कार्य करता है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन कालाबाजारी के काम लिया जा रहा था। जिसकी

कलेक्टर एवं जिला... दौसा

प्राथमिक सूचना रिपोर्ट सं0 01/2019 थाना मेहन्दीपुर बलाजी में दर्ज है। जो दौराने तफतीश है। जॉच विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी में नहीं दिया जावें। प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि यदि जब्त शुदा ट्रेक्टर मय ट्रोली जॉच विचाराधीन होने के कारण दिया जाना उचित नहीं है। जॉच प्रभावित होने की पूरी–पूरी संभावा है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 25.12.2018 को पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी को डीलर राजेंद्र प्रसाद मीना राशन के गेहूँ ले जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर जॉच की गई। जिसके तहत ट्रेक्टर चालक मुकेश मीना ट्रेक्टर को छोडकर भाग जाना पुलिस केस डायरी में अंकित किया गया है। ट्रेक्टर ट्रोली में भरे हुए गेहूँ की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक, दौसा द्वारा दिनांक 26.12.2018 को की गई। जिसमें 20 कट्टे गेहूँ मिले, जिनके बारे में मौके पर उपस्थित श्री नवल किशोर मीना पुत्र श्री रामखिलाडी मीना निवासी ग्राम डेण्डान व टीकाराम मीना पुत्र श्री रामखिलाडी मीना निवासी ग्राम डेण्डान ग्राम पंचायत डेण्डाबसेडी तहसील सिकराय के बयाने लिये गये जिन्होनें उक्त गेहूँ के कट्टे ग्राम पंचायत डेण्डा बसेडी तहसील सिकराय के उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेंद्र मीना के होना बताया गया जो रात्रि में लगभग 8.00 बजे स्वयं के ट्रेक्टर ट्रोली में रखकर कालाबाजारी हेतु ले जा रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रेक्टर चालक राशन के गेहूँ ले जा रहा था। दौराने जॉच पुलिस पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी द्वारा पकड़ा गया ट्रेक्टर मय ट्रोली बिना नंबर के एक लाल रंग के मैसी डीआई 1035 इंजन नम्बर के0एच0 5324E58902 व चेसिस नंबर MEA2EE61KH 2163021में गेहूँ के 20 कट्टे भरे हुए मिलने पर जब्त किया गया। जिसकी गहनता से जांच किये जाने पर उक्त गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्ड पर वितरण करने वाला होने की पुष्टि होने पर उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली को जब्त किया गया है। जिसकी थाना मेहन्दीपुर बालाजी पर एफआईआर सं0 01/2019 दर्ज है। जिसकी पृथक से जॉच किया जाने का खुलासा पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अभी जॉच/विचारण जारी है और ट्रेक्टर मय ट्रोली अवैध परिवहन करते हुए पकडा गया है, जॉच रिपोर्ट के आधार पर कालाबाजारी करने की दृष्टि से उक्त गेहूँ जब्त कर विधिक कार्यवाही की गई है। वर्तमान में प्रकरण की जॉच/विचारण जारी हाने से इस स्टेज पर वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र मूल प्रकारण 6 (क) में शामिल रहें।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 06 मार्च,2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official